

#1251 ✓

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025



स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 328002
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल) - लानाच

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 59A दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र. न.	नाम, ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	55	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बढ़ावा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी बैक पुन खेड़ा बीस रसा. देह रदन खेड़ा राजस्थान ग्रामीण बैंक ग्रामीण बैंक काखाना धमाजा ब्राण खजाजा 03.10.25</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी बैक पुन खेड़ा बीस रसा. देह रदन राजस्थान ग्रामीण बैंक ब्राण खजाजा 03.10.25</p> <p>तहसीलदार कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुश्रुता स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>लाखा का खेड़ा</u> प.ह. <u>तुरकिया खेड़ा</u> खालास <u>55</u> में वर्तमान प्रविष्टी बढ़ावा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

(Handwritten signature)
प.सं. 59A

(Handwritten signature)

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलेक्टर कपासन

(Handwritten signature)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़